

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 288
16.12.2024 को उत्तर के लिए

उद्योगों के लिए विनियामक छूट

*288 श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महन्त :

डॉ. अमर सिंह :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विशेषतः वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए, कतिपय उद्योगों को अनुमोदन प्राप्त किए जाने से छूट दिए जाने के पीछे क्या तर्काधार है;
- (ख) क्या सरकार ने उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण विनियमों से छूट दिए जाने के कारण पड़ने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) वायु और पानी की गुणवत्ता को बचाए रखे जाने की आवश्यकता सहित उद्योगों के लिए अनुपालन की बाध्यता कम किए जाने के स्थिति में संतुलन बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
- (घ) क्या सरकार की यह सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक निगरानी या संपरीक्षा तंत्र लागू करने की योजना है कि इस श्रेणी के तहत वर्गीकृत उद्योग पर्यावरण मानकों का पालन करें; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘उद्योगों के लिए विनियामक छूट’ के संबंध में श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महन्त और डॉ. अमर सिंह द्वारा दिनांक 16.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *288 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): केंद्र सरकार ने वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 में संशोधन किया है और उद्योगों की कुछ श्रेणियों को सहमति प्राप्त करने से छूट प्रदान की है। परिणामस्वरूप, यदि उद्योग पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करते हैं तो उद्योगों की सफेद श्रेणी को सहमति तंत्र से पूरी तरह से और अन्य श्रेणियों को स्थापित करने की सहमति से छूट देने के लिए अधिसूचनाएं [सा.का.नि. 702 (अ) दिनांक 12-11-2024 (अनुबंध-I) वायु अधिनियम की धारा 21(1) के तहत और सा.का.नि. 703 (अ) दिनांक 12-11-2024 (अनुबंध-II)] जल अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत जारी की गई हैं। यह छूट न केवल उद्योगों पर अनुपालन भार को कम करेगी बल्कि अनुमोदनों के दोहराव को कम करके व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा देगी। उद्योगों की कुछ श्रेणियों को छूट प्रदान करने से पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उपर्युक्त अधिसूचना सहमति तंत्र को समाप्त करने के बजाय प्रभावी रूप से दो प्रक्रियाओं को एकीकृत करती है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के पास पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी शर्तों को प्रस्तुत करने का अवसर होगा जिन्हें पर्यावरणीय मंजूरी शर्तों में शामिल किया जाएगा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) उद्योगों और अन्य क्षेत्रों को प्रदूषण सूचकांक (पीआई) के आधार पर लाल, नारंगी, हरे और सफेद श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जोकि उनके द्वारा हुए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और खतरनाक अपशिष्ट सृजन संबंधी कार्य निष्पादन पर आधारित होता है। प्रदूषण सूचकांक (पीआई) वर्गीकरण के आधार पर, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्रदूषण सूचकांक लाल (पीआई ≥ 60), नारंगी ($40 < \text{पीआई} < 60$), हरा ($21 < \text{पीआई} \leq 40$) और सफेद (पीआई ≤ 20) हैं। उद्योगों की सफेद श्रेणियों को व्यावहारिक रूप से गैर-प्रदूषणकारी उद्योग माना जाता है और उन्हें स्थापित करने और संचालित करने के लिए सहमति प्राप्त करने से छूट प्रदान की गई है।

(ग) से (ड): इस संशोधन और अधिसूचना का प्रयोजन पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत कुछ उद्योगों द्वारा अनेक स्तरों पर अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को रोकना था। यह एक दोहराव था क्योंकि पर्यावरण मंजूरी और सहमति के मानदंड परस्पर व्याप्त थे। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थापित करने के लिए सहमति की शर्तों को पर्यावरण मंजूरी शर्तों में ही एकीकृत कर दिया जाए जिसके लिए एक मानक संचालन कार्य पद्धति जारी की गई है (अनुबंध-III)।

अनुपालन भार को कम करने के लिए उद्योगों की कतिपय श्रेणियों को छूट देते समय इस बात का समुचित ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा की शर्तों से समझौता न किया जाए। इसके लिए विस्तृत मानक संचालन कार्य पद्धति (एसओपी) जारी की गई है। इस एसओपी के तहत, पूरी तरह से छूट प्राप्त इकाइयों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) को स्व-घोषणा के रूप में सूचित करना होगा कि वे सभी प्रचलित नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रहे हैं। एसपीसीबी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी छूट प्राप्त इकाइयों द्वारा सूचित किए गए कार्यों के अलावा कोई अन्य कार्यकलाप न किया जाए।

स्थापना के लिए सहमति से छूट के मामले में, स्थापना के लिए सहमति में निर्धारित शर्तों को संबंधित एसपीसीबी द्वारा प्रत्येक मामले में पर्यावरणीय मंजूरी शर्तों में एकीकृत किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्योग सभी पर्यावरणीय नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रहे हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान एसपीसीबी का उचित प्रतिनिधित्व होगा और वह आवश्यकतानुसार आवश्यक निरीक्षण/मूल्यांकन भी कर सकेगा। सफेद श्रेणियों को छोड़कर अन्य उद्योगों को संचालन की सहमति की शर्तों से कोई छूट प्रदान नहीं की गई है, जिसे उन्हें अलग से प्राप्त करना होगा।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112024-258619
CG-DL-E-13112024-258619

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2024/कार्तिक 21, 1946

No. 643]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2024/KARTIKA 21, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2024

सा. का. नि. 702(अ).— केन्द्रीय सरकार, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 21 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, निम्नलिखित श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को उक्त उपधारा के उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

(क) इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा सूचीबद्ध 20 तक के प्रदूषण इंडेक्स स्कोर वाले सभी औद्योगिक संयंत्र, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसा संयंत्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को लिखित में सूचित करेगा;

(ख) सभी औद्योगिक संयंत्र, जिन्होंने ऐसे संयंत्र स्थापित करने की पूर्व सहमति की बाबत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर ली है।

अधिनियम और इस अधिसूचना के प्रावधानों के अधीन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस अधिसूचना के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर सकता है, जैसा कि उचित समझा जाये।

[फा. सं. क्यू -15012/2/2022-सीपीडब्ल्यू-भाग (1)/इ-240741]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

अनुसूची

2016 की वर्गीकरण पद्धति के अनुसार समय-समय पर सीपीसीबी द्वारा वर्गीकृत क्षेत्रों की श्वेत श्रेणी की सूची

1. एयर कूलर/कंडीशनरों की असेंबली, मरम्मत और सर्विसिंग
2. साइकिलों, बच्चों की गाड़ियों और अन्य छोटे गैर-मोटर वाहनों की असेंबली
3. अपशिष्ट कागजों की बेलिंग (हाइड्रोलिक प्रेस)
4. अकार्बनिक रसायनों का उपयोग किए बिना जैव उर्वरक और जैव-कीटनाशक
5. रोल्ड पीवीसी शीट से बिस्कुट ट्रे आदि (स्वचालित वैक्यूम बनाने वाली मशीनों का उपयोग करके)
6. चाय का मिश्रण और पैकिंग
7. बिना फाउंड्री के छपाई का ब्लॉक बनाना (लकड़ी का ब्लॉक बनाने को छोड़कर)
8. प्लास्टर ऑफ पेरिस से चाक बनाना (केवल बॉयलर आदि के बिना कास्टिंग)। (सौर शुष्कता /विद्युत ओवन)
9. कच्चे तरल ऑक्सीजन से संपीड़ित ऑक्सीजन गैस (किसी भी विलायक के उपयोग के बिना और केवल अन्य गैसों को अलग करने के लिए दबाव और तापमान बनाए रखकर)
10. कपास और ऊनी होज़ियर बनाना (बिना किसी रंगाई /धुलाई के केवल शुष्क प्रक्रिया)
11. डीजल पंप मरम्मत और सर्विसिंग (पूर्ण यांत्रिक शुष्क प्रक्रिया)
12. केवल असेंबलिंग द्वारा इलेक्ट्रिक लैंप (बीयूएलबी) और सीएफएल विनिर्माण
13. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम असेंबलिंग (पूरी तरह से शुष्क प्रक्रिया)
14. इंजीनियरिंग और निर्माण इकाइयां (बिना किसी ऊष्म- उपचार / धातु सतह परिष्करण संचालन / पेंटिंग के शुष्क प्रक्रिया)
15. सुगंधित सुपारी उत्पादन/पीसना (पूरी तरह से शुष्क यांत्रिक संचालन)
16. फ्लाई ऐश ईट/ब्लॉक विनिर्माण
17. केवल असेंबलिंग द्वारा फाउंटेन पेन विनिर्माण
18. कांच की ट्युब से कांच के एम्प्यूल और शीशियाँ बनाना
19. ग्लास पुट्टी और सीलेंट (केवल मशीन के साथ मिश्रण द्वारा)
20. मूंगफली के छिलके उतारना
21. हथकरघा/कालीन बुनाई (बिना रंगाई और ब्लीचिंग प्रक्रिया के)
22. चमड़े की कटिंग और सिलाई (10 से अधिक मशीन और मोटर का उपयोग करके)
23. नारियल की भूसी से कॉयर वस्तुओं का विनिर्माण
24. धातु के ढक्कन, कंटेनरों आदि का विनिर्माण
25. जूता ब्रश और वायर ब्रश का विनिर्माण
26. मेडिकल ऑक्सीजन
27. जैविक और अकार्बनिक पोषक तत्व (भौतिक मिश्रण द्वारा)
28. कार्बनिक खाद (मैनुअल मिश्रण)
29. पाउडर दूध की पैकिंग
30. पेपर पिन और यू क्लिप
31. इलेक्ट्रिक मोटरों और जनरेटरों की मरम्मत (ड्राई मैकेनिकल प्रोसेस)
32. रस्सी (प्लास्टिक और कपास)
33. वैज्ञानिक और गणितीय उपकरण विनिर्माण
34. सौर मॉड्यूल गैर-पारंपरिक ऊर्जा उपकरण विनिर्माण इकाई
35. सौर फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन, पवन ऊर्जा और मिनी हाइडल पावर (25 मेगावाट से कम)
36. सर्जिकल और मेडिकल उत्पादों की असेंबली (अपशिष्ट/उत्सर्जन उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं को शामिल नहीं करना)
37. प्रयुक्त खाना पकाने का तेल संग्रह (यूसीओ) केंद्र*
38. बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट आदि के आधार पर घरेलू बायो-डाइजेस्टर/गोबर-गैस (काउ-डंग) संयंत्र। **
39. ऐसे सीबीजी संयंत्र जो राजपत्र अधिसूचना संख्या 2051 दिनांक 14.07.2020 और संख्या 1972 दिनांक 01.06.2021 की आवश्यकताओं के अनुरूप उप-उत्पादों के रूप में क्रमशः एफओएम और एलएफओएम का उत्पादन करते हैं, और पूरे

एफओएम और एलएफओएम को भूमि पर उर्वरक या खाद के रूप में उपयोग करते हैं और किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जल भी नहीं बहाते हैं**

क्रम संख्या 1 से 36 की प्रविष्टियों को सीपीसीवी पत्र संख्या बी-29012/ईएसएस (सीपीए)/2015-16 दिनांक 07.03.2016 के माध्यम से वर्गीकृत किया गया था।

* सीपीसीवी पत्र संख्या बी-29016/आरओजीडब्ल्यू/आईपीसी-VI/2020-21, दिनांक 30.04.2020 माध्यम से वर्गीकृत।

** सीपीसीवी पत्र संख्या सीपीसीवी/आईपीसी-VI/आरओजीडब्ल्यू/6686-6730, दिनांक 22.09.2021 के माध्यम से वर्गीकृत।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2024

G.S.R. 702(E).—In exercise of power conferred by the proviso to sub-section (1) of section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), the Central Government, in consultation with the Central Pollution Control Board, exempts the following categories of industrial plants from the application of the provisions of the said sub-section, namely:-

(a) all industrial plants having pollution index score upto 20 as listed in the Schedule to this notification, subject to condition that such plant shall inform in writing to the State Pollution Control Boards or the Pollution Control Committees;

(b) all industrial plants which have obtained prior environmental clearance as per the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), in respect of previous consent to establish such plant.

Subject to the provisions of the Act and this notification, MoEFCC may issue necessary standard operating procedure for streamlining implementation of this notification, as deemed appropriate.

(No. Q-15012/2/2022-CPW-Part(1) /e-240741)

VED PRAKASH MISHRA, Jt.Secy.

SCHEDULE

LIST OF WHITE CATEGORY OF SECTORS CLASSIFIED BY CPCB FROM TIME TO TIME, AS PER THE 2016 CLASSIFICATION METHODOLOGY

1. Assembly of air coolers /conditioners, repairing and servicing
2. Assembly of bicycles, baby carriages and other small non motorizing vehicles
3. Bailing (hydraulic press) of waste papers
4. Bio fertilizer and bio-pesticides without using inorganic chemicals
5. Biscuits trays etc from rolled PVC sheet (using automatic vacuum forming machines)
6. Blending and packing of tea
7. Block making of printing without foundry (excluding wooden block making)
8. Chalk making from plaster of Paris (only casting without boilers etc. (sun drying / electrical oven)
9. Compressed oxygen gas from crude liquid oxygen (without use of any solvents and by maintaining pressure & temperature only for separation of other gases)
10. Cotton and woolen hosiery making (Dry process only without any dyeing / washing operation)
11. Diesel pump repairing and servicing (complete mechanical dry process)
12. Electric lamp (bulb) and CFL manufacturing by assembling only
13. Electrical and electronic item assembling (completely dry process)
14. Engineering and fabrication units (dry process without any heat treatment / metal surface finishing operations / painting)

15. Flavoured betel nuts production/ grinding (completely dry mechanical operations)
16. Fly ash bricks/ block manufacturing
17. Fountain pen manufacturing by assembling only
18. Glass ampules and vials making from glass tubes
19. Glass putty and sealant (by mixing with machine only)
20. Ground nut decorticating
21. Handloom/ carpet weaving (without dying and bleaching operation)
22. Leather cutting and stitching (more than 10 machine and using motor)
23. Manufacturing of coir items from coconut husks
24. Manufacturing of metal caps containers etc
25. Manufacturing of shoe brush and wire brush
26. Medical oxygen
27. Organic and inorganic nutrients (by physical mixing)
28. Organic manure (manual mixing)
29. Packing of powdered milk
30. Paper pins and u clips
31. Repairing of electric motors and generators (dry mechanical process)
32. Rope (plastic and cotton)
33. Scientific and mathematical instrument manufacturing
34. Solar module non-conventional energy apparatus manufacturing unit
35. Solar power generation through solar photovoltaic cell, wind power and mini hydel power (less than 25 MW)
36. Surgical and medical products assembling only (not involving effluent / emission generating processes)
37. Used Cooking Oil Collection (UCO) Center*
38. Household Bio-digesters/gobar-gas (cow-dung) plants based on biodegradable waste etc.**
39. CBG plants producing FOM & LFOM as by products in conformity with requirements of Gazette Notification No. 2051 dated 14.07.2020 & No. 1972 dated 01.06.2021, respectively, and utilizing entire FOM & LFOM as a fertilizer or manure on land and also not discharging any wastewater**

Entries from S. No. 1 to 36 were classified vide CPCB letter no. B-29012/ESS(CPA)/2015-16 dated 07.03.2016.

**Classified vide CPCB letter no. B-29016/ROGW/IPC-VI/2020-21, dated 30.04.2020.*

***Classified vide CPCB letter no. CPCB/IPC-VI/ROGW/6686-6730, dated 22.09.2021.*



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112024-258622
CG-DL-E-13112024-258622

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2024/कार्तिक 21, 1946

No. 644]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2024/KARTIKA 21, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2024

सा. का. नि. 703(अ).— केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 25 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, निम्नलिखित श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को उक्त उपधारा के उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

(क) इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा सूचीबद्ध 20 तक के प्रदूषण इंडेक्स स्कोर वाले सभी औद्योगिक संयंत्र, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसा संयंत्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को लिखित में सूचित करेगा;

(ख) सभी औद्योगिक संयंत्र, जिन्होंने ऐसे संयंत्र स्थापित करने की पूर्व सहमति की बाबत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर ली है।

अधिनियम और इस अधिसूचना के प्रावधानों के अधीन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस अधिसूचना के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर सकता है, जैसा कि उचित समझा जाये।

[फा. सं. क्यू -15012/2/2022-सीपीडब्ल्यू-भाग (1)/इ-240741]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

अनुसूची

2016 की वर्गीकरण पद्धति के अनुसार समय-समय पर सीपीसीबी द्वारा वर्गीकृत क्षेत्रों की श्वेत श्रेणी की सूची

1. एयर कूलर/कंडीशनरों की असेंबली, मरम्मत और सर्विसिंग
2. साइकिलों, बच्चों की गाड़ियों और अन्य छोटे गैर-मोटर वाहनों की असेंबली
3. अपशिष्ट कागजों की बेलिंग (हाइड्रोलिक प्रेस)
4. अकार्बनिक रसायनों का उपयोग किए बिना जैव उर्वरक और जैव-कीटनाशक
5. रोल्ड पीवीसी शीट से बिस्कुट ट्रे आदि (स्वचालित वैक्यूम बनाने वाली मशीनों का उपयोग करके)
6. चाय का मिश्रण और पैकिंग
7. बिना फाउंड्री के छपाई का ब्लॉक बनाना (लकड़ी का ब्लॉक बनाने को छोड़कर)
8. प्लास्टर ऑफ पेरिस से चाक बनाना (केवल बॉयलर आदि के बिना कास्टिंग)। (सौर शुष्कता/विद्युत ओवन)
9. कच्चे तरल ऑक्सीजन से संपीड़ित ऑक्सीजन गैस (किसी भी विलायक के उपयोग के बिना और केवल अन्य गैसों को अलग करने के लिए दबाव और तापमान बनाए रखकर)
10. कपास और ऊनी होज़ियर बनाना (बिना किसी रंगाई/धुलाई के केवल शुष्क प्रक्रिया)
11. डीजल पंप मरम्मत और सर्विसिंग (पूर्ण यांत्रिक शुष्क प्रक्रिया)
12. केवल असेंबलिंग द्वारा इलेक्ट्रिक लैंप (बीयूएलबी) और सीएफएल विनिर्माण
13. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम असेंबलिंग (पूरी तरह से शुष्क प्रक्रिया)
14. इंजीनियरिंग और निर्माण इकाइयां (बिना किसी ऊष्म- उपचार / धातु सतह परिष्करण संचालन / पेंटिंग के शुष्क प्रक्रिया)
15. सुगंधित सुपारी उत्पादन/पीसना (पूरी तरह से शुष्क यांत्रिक संचालन)
16. फ्लाई ऐश ईट/ब्लॉक विनिर्माण
17. केवल असेंबलिंग द्वारा फाउंटेन पेन विनिर्माण
18. कांच की ट्युब से कांच के एम्प्यूल और शीशियाँ बनाना
19. ग्लास पुट्टी और सीलेंट (केवल मशीन के साथ मिश्रण द्वारा)
20. मूंगफली के छिलके उतारना
21. हथकरघा/कालीन बुनाई (बिना रंगाई और ब्लीचिंग प्रक्रिया के)
22. चमड़े की कटिंग और सिलाई (10 से अधिक मशीन और मोटर का उपयोग करके)
23. नारियल की भूसी से काँयर वस्तुओं का विनिर्माण
24. धातु के ढक्कन, कंटेनरों आदि का विनिर्माण
25. जूता ब्रश और वायर ब्रश का विनिर्माण
26. मेडिकल ऑक्सीजन
27. जैविक और अकार्बनिक पोषक तत्व (भौतिक मिश्रण द्वारा)
28. कार्बनिक खाद (मैनुअल मिश्रण)
29. पाउडर दूध की पैकिंग
30. पेपर पिन और यू क्लिप
31. इलेक्ट्रिक मोटरों और जनरेटरों की मरम्मत (ड्राई मैकेनिकल प्रोसेस)
32. रस्सी (प्लास्टिक और कपास)
33. वैज्ञानिक और गणितीय उपकरण विनिर्माण
34. सौर मॉड्यूल गैर-पारंपरिक ऊर्जा उपकरण विनिर्माण इकाई
35. सौर फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन, पवन ऊर्जा और मिनी हाइडल पावर (25 मेगावाट से कम)

36. सर्जिकल और मेडिकल उत्पादों की असेंबली (अपशिष्ट/उत्सर्जन उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं को शामिल नहीं करना)
37. प्रयुक्त खाना पकाने का तेल संग्रह (यूसीओ) केंद्र*
38. बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट आदि के आधार पर घरेलू बायो-डाइजेस्टर/गोबर-गैस (काउ-डंग) संयंत्र। **
39. ऐसे सीबीजी संयंत्र जो राजपत्र अधिसूचना संख्या 2051 दिनांक 14.07.2020 और संख्या 1972 दिनांक 01.06.2021 की आवश्यकताओं के अनुरूप उप-उत्पादों के रूप में क्रमशः एफओएम और एलएफओएम का उत्पादन करते हैं, और पूरे एफओएम और एलएफओएम को भूमि पर उर्वरक या खाद के रूप में उपयोग करते हैं और किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जल भी नहीं बहाते हैं**

क्रम संख्या 1 से 36 की प्रविष्टियों को सीपीसीबी पत्र संख्या बी-29012/ईएसएस (सीपीए)/2015-16 दिनांक 07.03.2016 के माध्यम से वर्गीकृत किया गया था।

* सीपीसीबी पत्र संख्या बी-29016/आरओजीडब्ल्यू/आईपीसी-VI/2020-21, दिनांक 30.04.2020 माध्यम से वर्गीकृत।

** सीपीसीबी पत्र संख्या सीपीसीबी/आईपीसी-VI/आरओजीडब्ल्यू/6686-6730, दिनांक 22.09.2021 के माध्यम से वर्गीकृत।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2024

G.S.R. 703(E).—In exercise of power conferred by the proviso to sub-section (1) of section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government, in consultation with the Central Pollution Control Board, exempts the following categories of industrial plants from the application of the provisions of the said sub-section, namely:-

(a) all industrial plants having pollution index score upto 20 as listed in the Schedule to this notification, subject to condition that such plant shall inform in writing to the State Pollution Control Boards or the Pollution Control Committees;

(b) all industrial plants which have obtained prior environmental clearance as per the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), in respect of previous consent to establish such plant.

Subject to the provisions of the Act and this notification, MoEFCC may issue necessary standard operating procedure for streamlining implementation of this notification, as deemed appropriate.

[F.No. Q-15012/2/2022-CPW-Part(1) /e-240741]
VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

SCHEDULE

LIST OF WHITE CATEGORY OF SECTORS CLASSIFIED BY CPCB FROM TIME TO TIME, AS PER THE 2016 CLASSIFICATION METHODOLOGY

1. Assembly of air coolers /conditioners, repairing and servicing
2. Assembly of bicycles, baby carriages and other small non motorizing vehicles
3. Bailing (hydraulic press) of waste papers
4. Bio fertilizer and bio-pesticides without using inorganic chemicals
5. Biscuits trays etc from rolled PVC sheet (using automatic vacuum forming machines)
6. Blending and packing of tea
7. Block making of printing without foundry (excluding wooden block making)
8. Chalk making from plaster of Paris (only casting without boilers etc. (sun drying / electrical oven)

9. Compressed oxygen gas from crude liquid oxygen (without use of any solvents and by maintaining pressure & temperature only for separation of other gases)
10. Cotton and woolen hosiery making (Dry process only without any dyeing / washing operation)
11. Diesel pump repairing and servicing (complete mechanical dry process)
12. Electric lamp (bulb) and CFL manufacturing by assembling only
13. Electrical and electronic item assembling (completely dry process)
14. Engineering and fabrication units (dry process without any heat treatment / metal surface finishing operations / painting)
15. Flavoured betel nuts production/ grinding (completely dry mechanical operations)
16. Fly ash bricks/ block manufacturing
17. Fountain pen manufacturing by assembling only
18. Glass ampoules and vials making from glass tubes
19. Glass putty and sealant (by mixing with machine only)
20. Ground nut decorticating
21. Handloom/ carpet weaving (without dyeing and bleaching operation)
22. Leather cutting and stitching (more than 10 machine and using motor)
23. Manufacturing of coir items from coconut husks
24. Manufacturing of metal caps containers etc
25. Manufacturing of shoe brush and wire brush
26. Medical oxygen
27. Organic and inorganic nutrients (by physical mixing)
28. Organic manure (manual mixing)
29. Packing of powdered milk
30. Paper pins and u clips
31. Repairing of electric motors and generators (dry mechanical process)
32. Rope (plastic and cotton)
33. Scientific and mathematical instrument manufacturing
34. Solar module non-conventional energy apparatus manufacturing unit
35. Solar power generation through solar photovoltaic cell, wind power and mini hydel power (less than 25 MW)
36. Surgical and medical products assembling only (not involving effluent / emission generating processes)
37. Used Cooking Oil Collection (UCO) Center*
38. Household Bio-digesters/gobar-gas (cow-dung) plants based on biodegradable waste etc.**
39. CBG plants producing FOM & LFOM as by products in conformity with requirements of Gazette Notification No. 2051 dated 14.07.2020 & No. 1972 dated 01.06.2021, respectively, and utilizing entire FOM & LFOM as a fertilizer or manure on land and also not discharging any wastewater**

Entries from S. No. 1 to 36 were classified vide CPCB letter no. B-29012/ESS(CPA)/2015-16 dated 07.03.2016.

**Classified vide CPCB letter no. B-29016/ROGW/IPC-VI/2020-21, dated 30.04.2020.*

***Classified vide CPCB letter no. CPCB/IPC-VI/ROGW/6686-6730, dated 22.09.2021.*

फा.सं. क्यू-15012/2/2022-सीपीडब्लू-पार्ट (1) /ई-240741

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(सीपी प्रभाग)

दूसरी मंजिल, जल विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन

जोर बाग रोड, अलीगंज

नई दिल्ली-110003

दिनांक: 14 नवंबर, 2024

विषय: जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 की उपधारा (1) के परन्तुक तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 की उपधारा (1) के परन्तुक की अनुप्रयोज्यता से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को छूट देने के लिए अधिसूचना - मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने के संबंध में।

केन्द्रीय सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 की उपधारा (1) के परन्तुक तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 की उपधारा (1) के परन्तुक की अनुप्रयोज्यता से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को छूट देने के संबंध में सा.का.नि. 703 (अ) दिनांक 12-11-2024 (प्रतिलिपि संलग्न) तथा सा.का.नि. 702 (अ) दिनांक 12-11-2024 के माध्यम से अधिसूचनाएं प्रकाशित की हैं।

जैसा कि उपरोक्त अधिसूचना में प्रावधान है, उक्त अधिसूचना के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अनुपालन हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है।

2. एसओपी सभी संबंधितों को अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया जाता है।

ह./-

(वेद प्रकाश मिश्रा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फ़ोन: 2081 9236

ई-मेल: mishra.vp@gov.in

सेवा में,

प्रभागीय प्रमुख, आईए प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को छूट देने के लिए अधिसूचना के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 की उपधारा (1) के परन्तुक तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 की उपधारा (1) के परन्तुक की अनुप्राज्यता से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को छूट देने के संबंध में सा.का.नि. 703 (अ) दिनांक 12-11-2024 तथा सा.का.नि. 702 (अ) दिनांक 12-11-2024 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के परिणामस्वरूप, इन अधिसूचनाओं के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित एसओपी जारी की जाती है:

1. उक्त अधिसूचनाओं की अनुसूची में संलग्न सभी उद्योग/गतिविधियां (श्वेत के रूप में वर्गीकृत) जिन्हें उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के अनुसार एसपीसीबी/पीसीसी से सीटीई और सीटीओ प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त से छूट दी गई है, नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेंगे:

- क. इन इकाइयों को अपने संचालन के बारे में एसपीसीबी/पीसीसी को स्व-घोषणा के रूप में सूचित करना होगा, तथा सभी प्रचलित नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। उन्हें कोई सहमति शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
- ख. एसपीसीबी/पीसीसी ऐसे उद्योगों/गतिविधियों की सूची अलग से बनाए रखेंगे, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।
- ग. एसपीसीबीएस/पीसीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी छूट प्राप्त इकाइयों द्वारा सूचित गतिविधियों के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं की जाएगी।

2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं/गतिविधियों को अलग से सीटीई प्राप्त करने से छूट दी गई है, उन्हें उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा:

- क. वे उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
- ख. सी.टी.ई. की शर्तों को, आवश्यकतानुसार, ई.सी. की शर्तों में निम्नलिखित तरीके से एकीकृत किया जाएगा:
 - i. ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी परियोजना प्रस्तावक (पीपी) के आवेदन के संबंध में एसपीसीबी/पीसीसी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करेगा।

- ii. संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी मामले की जांच करेगा और अपने द्वारा निर्धारित समय सीमा, जो 30 दिनों से कम नहीं होगी, के भीतर उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी को अपनी टिप्पणियां भेजेगा।
 - iii. यदि आवश्यक हो तो एसपीसीबी/पीसीसी अपनी टिप्पणियाँ भेजने से पहले साइट का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो एसपीसीबी/पीसीसी अतिरिक्त जानकारी के लिए पीपी से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। एसपीसीबी/पीसीसी के प्रश्नों का उत्तर देने में पीपी द्वारा लिया गया कोई भी समय निर्धारित समय सीमा के अतिरिक्त होगा।
 - iv. पर्यावरण मंजूरी देने वाला प्राधिकारी पर्यावरण मंजूरी जारी करते समय अतिरिक्त शर्तों को शामिल करने के लिए संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी की टिप्पणियों पर विचार करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल होगा कि पीपी, पर्यावरण मंजूरी जारी करने के 30 दिनों के भीतर एसपीसीबी/पीसीसी को अपेक्षित सीटीई शुल्क का भुगतान करेगा।
 - v. ईसी केवल सीटीई शुल्क के भुगतान के बाद ही चालू होगा। सीटीई शुल्क के भुगतान में 30 दिनों से अधिक की देरी होने पर संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा तय किया गया विलम्ब शुल्क लगाया जा सकता है।
- ग. ऐसे उद्योगों/गतिविधियों को एसपीसीबी/पीसीसी से अलग से सीटीओ प्राप्त करना होगा तथा जहां भी आवश्यक हो, प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार कोई अन्य प्राधिकार/अनुमति प्राप्त करनी होगी।
3. उपर्युक्त पैरा 1 और 2 में शामिल न किए गए उद्योगों/गतिविधियों को प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार सीटीई और सीटीओ तथा अन्य अनुमतियां प्राप्त करना आवश्यक होगा।

ह./-

(वेद प्रकाश मिश्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार